

FORM-1

(for linear projects)

Government of

Office of the District Collector

Dated: 09/05/16

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favour of (name of user agency) for (purpose for diversion of forest land) in district falls within jurisdiction of village(s) in tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Dehradun.

Dehradun.
District Magistrate

Signature
24/5/16

(Full name and official seal of the District Magistrate)

Encl. As above.

- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (g) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (h) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (i) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (j) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (k) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (l) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (m) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (n) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (o) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (p) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (q) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (r) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (s) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (t) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (u) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (v) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (w) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (x) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (y) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- (z) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

Dated

02/5/16

Office of the District Collector
Government of
(for projects other than linear projects)

FORM-II

Annexure-II

कार्यालय - जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद - देहरादून

पत्रांक 453/

दिनांक - 23/05/2016

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

दिनांक 16/5/2016 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद-देहरादून में मसूदी वन प्रमाण के मसूदी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित नौ बीघा - रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है 0 वन भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.8890 है 0 आरक्षित वन भूमि वन विभाग से ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सम्रा / ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रस्ताव प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संसृति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी देहरादून की संसृति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.8890 है 0 आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के मसूदी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संसृति की जाती है।

उप जिलाधिकारी देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

(सहसपुर)
जिला समान कल्याण अधिकारी
देहरादून

(वीरन पण्डित)
ग्रामीण विकास अधिकारी
मसूदी वन प्रमाण, मसूदी।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी
देहरादून
District Magistrate
Dehradun.

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी
देहरादून
District Magistrate
Dehradun.

23/05/2016

/दिनांक

453

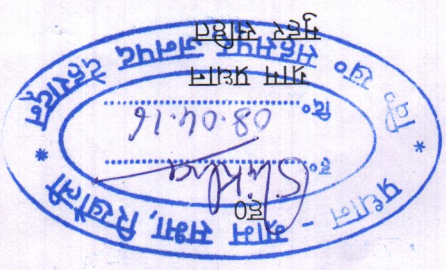
प.सं. 453/.....
प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जिलाधिकारी)
देहरादून
District Magistrate
Dehradun.

कायानय - उप जिलाधिकारी, देहरादून।
अनुरोधित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

ग्राम सचिव
मुहर सहित
21/12/16
21/12/16
21/12/16

है



ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत (उत्तराखण्ड)
21/12/16

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून / प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये

वर्षा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम निर्माण से आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

किंसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में वर्षा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किंसी पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.10.16 को सम्मन ग्राम सभा / ग्राम / प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

धर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है 0 आरक्षित वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 16 से नारायण सिंह के उत्तराखण्ड में जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम-
तहसील
जिला

दिनांक 08/04/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा

१२/०४/१६

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थिति वाले ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अ. १८५	अ. १८५
2	पुनिराव सिंह	पुनिराव सिंह
3	रु. १८५	रु. १८५
4	रु. १८५	रु. १८५
5	रु. १८५	रु. १८५
6	रु. १८५	रु. १८५
7	रु. १८५	रु. १८५
8	रु. १८५	रु. १८५
9	रु. १८५	रु. १८५
10	रु. १८५	रु. १८५
11	रु. १८५	रु. १८५
12	रु. १८५	रु. १८५
13	रु. १८५	रु. १८५
14	रु. १८५	रु. १८५
15	रु. १८५	रु. १८५
16	रु. १८५	रु. १८५
17	रु. १८५	रु. १८५
18	रु. १८५	रु. १८५
19	रु. १८५	रु. १८५
20	रु. १८५	रु. १८५
21	रु. १८५	रु. १८५
22	रु. १८५	रु. १८५
23	रु. १८५	रु. १८५
24	रु. १८५	रु. १८५
25	रु. १८५	रु. १८५
26	रु. १८५	रु. १८५
27	रु. १८५	रु. १८५
28	रु. १८५	रु. १८५
29	रु. १८५	रु. १८५
30	रु. १८५	रु. १८५
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		